

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 13.01.2023

बंसत पंचमी के दृष्टिगत थाना सदर बाजार पुलिस ने की प्रभावी कार्यवाही,

करीब 04 क्विंटल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा सहित अभियुक्त गिरफ्तार।

वर्तमान समय में बसंत पंचमी के आगामी त्यौहर के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस धारक दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री जा रही है। चाइनीज मांझा की अवैध रूप से की जा रही बिक्री को रोकने के लिए जनपद में श्री उमेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी महोदय व श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के संयुक्त निर्देशानुसार श्रीसतीष चन्द्र उपजिला मजिस्ट्रेट व श्री अखण्ड प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अवैध मांझा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 12.01.2023 की रातिर 20.20 बजे उपजिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी नगर सहित थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना पर मो० महमन्द जंगला में जमील अहमद पुत्र स्व० हनीफ अहमद निवासी मो० महमन्द जंगला थाना सदर बाजार की पतंग की दुकान पर औचक छापेमारी की गयी। मौके से एक व्यक्ति को प्रतिबंधित मांझा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा विभिन्न कम्पनियों की 315 कोन तथा 55 किलों लच्छी कोय बरामद की गयी। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण:-

1.आमिर पुत्र जमील अहमद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मोहल्ला महमन्द जंगला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त से बरामदगी:-

(1) चाइनीज मांझा विभिन्न कम्पनियों की 315 कोन (कुल 3.5 क्विंटल)

(2) 55 किलों लच्छी कोय

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु०अ०सं० 26/2023 धारा 188 भादवि व धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना सदर बाजार

टीम का विवरण-

1. श्री सतीष चन्द्र (श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सदर) जनपद शाहजहाँपुर

2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह (श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय)

3.उ०नि० श्री सोमपाल सिंह चौकी प्रभारी अन्जान सदर बाजार

4.Hc 130 आनन्द शंकर सिंह सदर बाजार

5.का० 1176 आदेश कुमार सदर बाजार

6.का० 2673 विकाश सदर बाजार

7.म० का० 1469 सीमा सारस्वत सदर बाजार